भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1284

सोमवार, 25 नवम्बर, 2019/04 अग्रहायण, 1941 (शक)

निर्माण कामगार

1284. श्री ए.नारायण स्वामी:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में विशेष रूप से कर्नाटक में वर्ष 2017 में निर्माण कामगारों को जारी किए गए पहचान-पत्रों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) कर्नाटक सरकार द्वारा आज की तिथि तक निर्माण कामगार कल्याण उप-कर के अंतर्गत कुल कितनी राशि संग्रहित और व्यय की गई है; और

(ग) कर्नाटक में निर्माण कामगारों के लिए क्रियान्वयन की जा रही सामाजिक सुरक्षा योजनाएं क्या हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (**स्वतंत्र प्रभार**)
(**श्री संतोष कुमार गंगवार**)

(क): भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार (रोजगार का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 राज्य के भवन एवं अन्य सन्निर्माण बोर्डों को ऐसे प्रत्येक बीओसी कामगार, जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो परन्तु जिसकी आयु 60 वर्ष से कम हो और जो बीओसी कार्य में पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिनों तक कार्यरत रहा हो, उसके लाभार्थी के रूप में पंजीकरण के लिए अधिदेश देता है और प्रत्येक लाभार्थी को एक पहचान-पत्र प्रदान करता है। ऐसे निर्माण कामगार, जिन्हें राज्य बोर्डों द्वारा पहचान पत्र जारी किया गया है, की संख्या का विवरण केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है। तथापि,लाभार्थी के रूप में राज्य बोर्डों द्वारा पंजीकृत बीओसी कामगारों की संचयी संख्या अनुबंध-I में दी गई है।

(ख) कर्नाटक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा सूचित किया गया है कि उसने बीओसीडब्ल्यू कल्याण उपकर के रूप में आदिनांक 6252.84 करोड़ रुपये एकत्रित किए हैं और 734.92 करोड़ रुपये की राशि खर्च की है।

(ग): कर्नाटक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड पंजीकृत बीओसी कामगारों और उनके आश्रितों के लिए 15 कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा लाभ योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है जिनका विवरण अनुबंध-II पर दिया गया है।

*****

अनुबंध–I

श्री ए.नारायण स्वामी द्वारा निर्माण कामगारों से संबंधित दिनांक 25.11.2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1284 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	बोर्ड से पंजीकृत कामगारों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	18,15,889
2	अरुणाचल प्रदेश	30,841
3	असम	2,48,871
4	बिहार	12,39,470
5	छत्तीसगढ़	19,39,898
6	गोवा	5,117
7	गुजरात	6,54,550
8	हरियाणा	8,56,980
9	हिमाचल प्रदेश	1,74,968
10	जम्मू और कश्मीर	3,42,295
11	झारखंड	7,96,146
12	कर्नाटक	15,42,432
13	केरल	15,26,861
14	मध्य प्रदेश	30,97,889
15	महाराष्ट्र	16,10,619
16	मणिपुर	1,18,332
17	मेघालय	28,836
18	मिजोरम	52,947
19	नगालैंड	11,912
20	ओडिशा	27,15,058
21	पंजाब	8,67,223
22	राजस्थान	22,22,924
23	सिक्किम	36,236
24	तमिलनाडु	28,28,553
25	तेलंगाना	11,75,531
26	त्रिपुरा	99,762
27	उत्तर प्रदेश	48,56,323
28	उत्तराखंड	2,32,627
29	पश्चिम बंगाल	31,01,362
30	दिल्ली	5,40,631
31	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	15,126
32	चंडीगढ़	21,498
33	दादरा और नागर हवेली	2,176
34	दमन और दीव	5,149
35	लक्षद्वीप	176
36	पुडुचेरी	47,080
	कुल	3,48,62,288

श्री ए.नारायण स्वामी द्वारा निर्माण कामगारों से संबंधित पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1284 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

बोर्ड से पंजीकृत कामगारों के लिए कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा लाभ

1. पेंशन- {धारा 22(1)(ख) के साथ पठित नियम 39}: लाभार्थी के रूप में 3 वर्ष पूरे करने के पश्चात 1,000/-रुपये प्रतिमाह
2. नि:शक्तता पेंशन- {धारा 22(1)(ख) के साथ पठित नियम 40}: नि:शक्तता की प्रतिशतता के आधार पर 1,000/-रुपये प्रतिमाह और 2,00,000/-रुपये तक की अनुग्रह राशि का भुगतान
3. श्रम सामर्थ्य टूल किट-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम {धारा 22(1)(ज) के साथ पठित नियम 41}: 20,000/-रुपये
4. आवासन (कार्मिक गृहभाग्य) {धारा 22(1)(ग) के साथ पठित नियम 42}: 2,00,000/-रुपये
5. मातृत्व सहायता (ताई लक्ष्मी बॉड)-{धारा 22(1)(छ) के साथ पठित नियम 43}:बालिका के जन्म की स्थिति में 30,000/-रुपये की सहायता और बालक के जन्म की स्थिति में 20,000/-रुपये की सहायता (प्रथम दो बच्चों के लिए)
6. अंत्येष्टि व्यय- {धारा 22(1)(ज) के साथ पठित नियम 44}: मृत निर्माण कामगार की अंत्येष्टि व्यय को पूरा करने के लिए 4,000/-रुपये की सहायता और 50,000/- की अनुग्रह राशि
7. शैक्षिक सहायता- (कलिके भाग्य) {धारा 22(1)(ङ) के साथ पठित नियम 45}: (पंजीकृत निर्माण कामगार के दो बच्चों के लिए)

    - पहली, दूसरी तथा तीसरी कक्षा पास करने पर 2,000/-रुपये
    - चौथी, पांचवी तथा छठी कक्षा पास करने पर 3,000/-रुपये
    - सातवीं और आठवीं कक्षा पास करने पर 4,000/-रुपये
    - नवीं तथा दसवीं कक्षा पास करने और पहली पीयूसी पर 6,000/-रुपये
    - दूसरी पीयूसी पर 8,000/-रुपये
    - आईटीआई अथवा दो वर्ष के प्रोफेशनल डिप्लोमा कोर्स करने पर 7,000/-रुपये (प्रत्येक वर्ष पास करने पर)
    - डिग्री कोर्स पास करने पर 10,000/-रुपये (प्रत्येक वर्ष पास करने पर)
    - मास्टर्स डिग्री पास करने पर 20,000/-रुपये प्रवेश के लिए और 10,000/-रुपये (प्रत्येक वर्ष पास करने पर)
    - **इंजीनियरिंग अथवा मेडिकल कोर्स में प्रवेश (बीई अथवा एमबीबीएस में मेरिट सीट लेने पर)** बीई में प्रवेश के लिए 25,000/-रुपये और 20,000/-रुपये प्रत्येक वर्ष पास करने के पश्चात् जो पाठ्यक्रम के लिए अधिकतम वर्षों की संख्या के अध्यधीन है।
    - एमबीबीएस में प्रवेश के लिए 30,000/-रुपये और 25,000/-रुपये प्रत्येक वर्ष पास करने के पश्चात् जो पाठ्यक्रम के लिए अधिकतम वर्षों की संख्या के अध्यधीन है।
    - **डॉक्ट्रल अनुसंधान के लिए प्रवेश हेतु-** 20,000/-रुपये प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के पश्चात (अधिकतम दो वर्षों के लिए) और तत्पश्चात् अतिरिक्त 20,000/-रुपये शोध-पत्र की स्वीकृति के पश्चात

<u>मेधा सहायता</u>

I. एसएसएलसी अथवा समकक्ष परीक्षा में 75% से अधिक अंक के लिए 5,000/-रुपये

II. पीयूसी अथवा समकक्ष परीक्षा में 75% से अधिक अंक के लिए 7,000/-रुपये

III. डिग्री अथवा समकक्ष परीक्षा में 75% से अधिक अंक के लिए 10,000/-रुपये

IV. मास्टरर्स डिग्री अथवा समकक्ष परीक्षा में 75% से अधिक अंक के लिए 15,000/-रुपये

8. चिकित्सा सहायता (कार्मिक आरोग्य भाग्य)- {धारा 22(1)(ङ) के साथ पठित नियम 46}: अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में 300/-रुपये प्रति दिवस जो अस्पताल में भर्ती होने की निरंतर अवधि के लिए अधिकतम 10,000/-रुपये
9. दुर्घटनावश मृत्यु होने/स्थायी अपंगता-{धारा 22(1)(ङ) के साथ पठित नियम 47}: 5,00,000/-रुपये तक
10. मुख्य बीमारियों के ईलाज के लिए(कार्मिक चिकित्सा भाग्य): {धारा 22(1)(ङ) के साथ पठित नियम 48}: **2,00,000/- रुपये तक**:- मुख्य बीमारी नामत: हृदय का आपरेशन, किडनी प्रत्यारोपण एवं कैंसर, ऑखों का आपरेशन, लकवा, हड्डी रोग संबंधी आपरेशन, यूट्रस का आपरेशन, अस्थमा, गर्भपात, पित्त की थैली संबंधी रोग, किडनी से पत्थर हटाना, ब्रेन हेमरेज, अल्सर, डायलिसिस, किडनी संबंधी शल्य चिकित्सा, ईएनटी संबंधी ईलाज एवं शल्य चिकित्सा, न्यूरो सर्जरी, वैस्कुलर सर्जरी, इसोफेगस संबंधी ईलाज एवं शल्य चिकित्सा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी, स्तन संबंधी रोगों का ईलाज एवं शल्य चिकित्सा, हर्निया सर्जरी, अपैंडिक्स सर्जरी,हड्डी की टूट-फूट/ डिस्लोकेशन, सामान्य सर्जरी, (सीजीएचएस दरों के अध्यधीन)
11. विवाह सहायता (गृह लक्ष्मी बॉड)- -{धारा 22(1)(ज) के साथ पठित नियम 49}: **50,000/-रुपये**-लाभार्थी अथवा उसके दो बच्चों को विवाह के लिए सहायता
12. पंजीकृत निर्माण कामगारों को एलपीजी कनेक्शन (कार्मिक अनिल भाग्य) -{धारा 22(1)(ज) के साथ पठित नियम 49घ}: कनेक्शन के साथ-साथ दो बर्नर वाला एक स्टोव और उसके परिवार के लिए रिफिल की सुविधा
13. बीएमटीसी बस पास--{धारा 22(1)(ज) के साथ पठित नियम 49ङ}: पंजीकृत निर्माण कामगारों को बंगलुरू मैट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्टेशन कार्पोरेशन (बीएमटीसी) की बसों में यात्रा के लिए नि:शुल्क बस पास की सहायता
14. केएसआरटीसी बस पास--{धारा 22(1)(ज) के साथ पठित नियम 49च}: पंजीकृत निर्माण कामगारों के बच्चों को केएसआरटीसी की बसों में यात्रा के लिए नि:शुल्क बस पास की सहायता
15. पंजीकृत महिला निर्माण कामगारों के बच्चों को पूर्व स्कूली शिक्षा तथा पोषणाहार सहायता-ताईमागु सहायाहस्त: --{धारा 22(1)(छ) के साथ पठित नियम 43क}: 6000/-रुपये (500/-रुपये प्रतिमाह की दर से)।

*****